# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2005–2006


**आयुक्त एवं सचिव,**
**ग्रमीण विकास विभाग,**
**बिहार, पटना ।**
**दूरभाष– 0612–2223496**
**फैक्स – 0612–2220857,**
**2237273**
Email Add**:-rddpat-bih@nic.in/rlrsec-bih@nic.in**
**वेबसाईट – http://bihar.nic.in**
**http://www.rdd.bih.nic.in**


**<u>प्राक्कथन</u>**

ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006 में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीणों के समेकित विकास के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वित्तीय एवं भौतिक स्थिति के आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं ताकि जनसाधारण इन कार्यक्रमों की पारदर्शिता से अवगत हो सकें ।

वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धित कर प्रभावशाली बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया । इस कड़ी में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को अगले पांच वर्षों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाने की प्रतिबद्धता थी । वर्ष 2001-02 से ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्ति सृजन एवं श्रम रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण व्यस्क आवश्यकतानुसार श्रम रोजगार के अवसर का उपभोग कर सकते हैं । इस योजना की आधी राशि का संचालन प्रखंड एवं जिला स्तरीय पंचायत समिति द्वारा किया जाता है, एवं शेष राशि ग्राम पंचायतों को ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है । ग्राम पंचायतों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उन्हें स्थानीय स्तर पर उपयोगी योजनाओं का चयन, वार्षिक योजनाओं की तैयारी, एक लाख रूपये तक के योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने की पूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गयी एवं इस निमित्त इन कार्यक्रमों की सम्पूर्ण राशि भी उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है ।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के पंद्रह जिलों को नवम्बर, 2004 से प्रारंभ होनेवाले राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के तहत अच्छादित किया एवं वर्ष 2005-06 में जिलों को 296. 20 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई । राष्ट्रीय काम के बदले अनाज के अन्तर्गत 8.62 लाख मैट्री टन चावल का आवंटन किया गया ।

बैंकों की सहभागिता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति प्रदान करने हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील रहा । वर्ष 2005-06 में कई प्रशासनिक व्यवधानों के बावजूद प्रशंसनीय उपलब्धि मिली है, जिनमें से निम्न उल्लेखनीय है :-

1. केन्द्र प्रायोजित मुख्य योजनाओं के तहत वर्ष 2005-06 के लिये 960.28 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 654.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो वित्तीय लक्ष्य का 68 प्रतिशत है ।
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 98.51 प्रतिशत व्यय किए गये । उसी प्रकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 94.32 प्रतिशत व्यय किया गया ।
3. विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकाधिक राशि विमुक्त कराने का सघन एवं सतत् प्रयास किया जाता रहा है ।

**(अनूप मुखर्जी)**
**आयुक्त एवं सचिव,**
**ग्रामीण विकास विभाग,**
**बिहार, पटना ।**

**दिनांकः**

## प्रस्तुति

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य संपोषित कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता और विकास में सुधार के लिए आधारभूत ढाँचे के संवर्धन के आलावा ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करते हुए परिसम्पत्ति सृजन,आय सृजन और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के जरिए निर्धनतम लोगो के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह वार्षिक प्रतिवेदन 2005–06 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत करता है । इस पुस्तिका के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता पूरी तरह परिलक्षित हो, यही हमारा प्रयास रहा है । इसे बेहतर बनाने का सुझाव सहर्ष आमंत्रित है ।

दिनांकः–

बैद्यनाथ प्रसाद महतो
मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

# इस प्रतिवेदन के प्रकाशन कार्य से जुड़े कर्मियों की सूची

## (1) <u>विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी</u>

1. सआदत हसन मिन्टु – उप सचिव

## (2) योजनाओं से जुड़े कर्मचारी

1. श्री रामजन्म सिंह – सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी
2. श्री नौशाद खां – कनीय सांख्यिकी सहायक
3. श्री प्रदीप कुमार – तदैव
4. श्री सुशील कुमार सिन्हा – तदैव
5. श्री बीरेन्द्र मोहन – तदैव

**== xxx ==**

# विषय सूची


| अध्याय | विषय | पृष्ट संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बिहार राज्य की रूपरेखा : एक संक्षिप्त विवरण | 1 |
| 2. | ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित उपलब्धियॉ | 2-4 |
| 2. | **केन्द्र प्रायोजित योजनायें** | |
| | क. स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना | 5-29 |
| | ख. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | 30-43 |
| | ग. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम | 44-47 |
| | घ. बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | **48** |
| | ड. राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | **48** |
| | च. इन्दिरा आवास योजना | 49-64 |
| | छ. सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम/हरियाली | 65-68 |
| | ज. समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम | 69-71 |
| | झ. ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन | 72-73 |
| 3. | **केन्द्र संपोषित योजनायें** | |
| | क. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 74-88 |
| 4. | **परिशिष्ट** | |
| | 1. वर्ष 2005-2006 का योजना उद्व्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय | 89 |
| 5. | **संगठनात्मक ढॉचा** | 90-95 |
| 6. | **सामुदायिक विकास प्रखण्डों की सूची** | 96 |
| 7. | **विभागीय दूरभाष डायरेक्ट्री** | 97 |


❋❋❋

# बिहार राज्य की रूपरेखा : एक संक्षिप्त विवरण

बिहार, देश के पूर्वी भाग में $83^0$-30' से $88^0$-00' देशान्तर के मध्य अवस्थित है । यह पूर्णरूप से भूस्थलीय राज्य है, यद्यपि यह समुद्र के कोलकाता पोर्ट से बहुत दूर नहीं है । बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल की आद्रता एवं पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश की उप आद्रता है । यहां का वायुमण्डल, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति संक्रमण की अवस्था में रहता है । इसके उत्तर में नेपाल एवं दक्षिण में झारखंड है । बिहार का समतलीय भूभाग गंगा नदी द्वारा दो असमान भागों में विभक्त है ।

**भौगोलिक स्थिति**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | अक्षांस | - | $24^0$-20'-10'' से $27^0$-31'-15'' उत्तर |
| * | देशान्तर | - | $83^0$-19'-50'' से $88^0$-17'-40'' पूरब |
| * | ग्रामीण क्षेत्र | - | 92,,358.40 वर्ग कि०मी० |
| * | शहरी क्षेत्र | - | 1,804.60 वर्ग कि०मी० |
| * | कुल क्षेत्रफल | - | 94163.00 वर्ग कि०मी० |
| * | समुद्रतल से उचाई | - | 173 फिट |
| * | सामान्य वर्षापात | - | 1205 कि०मी० |
| * | वर्षा के औसत दिनों की संख्या | - | 52.5 दिन (वर्ष में) |
| * | जनसंख्या घनत्व | - | 881/ वर्ग कि०मी० |
| * | जनसंख्या | - | 8,29,98,509 |
| | -पुरूष | - | 4,32,43,795 |
| | -महिला | - | 3,97,54,714 |

**प्रशासनिक इकाईयां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | प्रमंडल | - | 9 |
| * | जिला | - | 38 |
| * | अनुमंडल | - | 101 |
| * | सामुदायिक विकास प्रखंड | - | 534 |
| * | पंचायत | - | 8,463 |
| * | राजस्व ग्रामों की संख्या | - | 45,098 |
| * | शहरों की संख्या | - | 130 |
| | -स्टेचियुट्री | - | 125 |
| | -ननस्टेचियुट्री | - | 5 |
| * | पुलिस जिला | - | |
| | -सिविल पुलिस | - | 40 |
| | -रेलवे पुलिस जिला | - | 4 |

# अध्याय–1

## ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न योजनाओं की समेकित उपलब्धि

दशम् पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के प्रारम्भिक वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग गरीबी के उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के निमित्त स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार के अवसर एवं आवास मुहैया कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत संरचना सृजित करने के निमित्त विभाग निम्नांकित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य सम्पोषित योजना एवं केन्द्र सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित करने हेतु कटिबद्ध रहा :–

### केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

इन योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में व्यय भार के आधार पर होता है । समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय का वहन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 11:1 के अनुपात में किया जाता है ।
ऐसे कार्यक्रम निम्नांकित हैं:–

(क) स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
(ग) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
(घ) इन्दिरा आवास योजना
  (i)नया आवास
  (ii)उन्नयन आवास
  (iii)ऋण और अनुदान
  (iv) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इंदिरा आवास
(ङ) सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम
(च) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
(छ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन

### राज्य सम्पोषित योजनाएँ

इस श्रेणी में वैसी योजनाएँ आती हैं, जिनका व्यय भार पूर्णत: राज्य सरकार वहन करती है ।इसके अन्तर्गत नवगठित प्रखंडों का भवन निर्माण का कार्यान्वयन हुआ है।

विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित रूप से वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि सारणी–1.1 में दी गई है । भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि का विवरण सारणी–1.2 में दृष्टव्य है ।

# अध्याय–2

## केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

### (क) स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों कों स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर गरीबी रेखा से उपर उठाने के कालबद्ध प्रयास के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 75:25 की सहभागिता से कार्यान्वित इस योजना का प्रारम्भ दिनांक 01/04/99 से किया गया है । इसके तहत पाँच वर्षो में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से उपर उठाने हेतु सतत् प्रयास करने की कटिबद्धता है । इसके अन्तर्गत पूर्व से चलाई जा रही आई0आर0डी0पी0, डवाकरा, ट्राइसेम, टूलकीट्स, जी0डब्लू0वाई0 एवं एम0डब्लू0एस0 को इस योजना में समाहित कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की पात्रता के आधार पर क्षेत्र में छोटे–छोटे उद्यम स्थापित किये जाते हैं, जिससे उन्हें आय का स्थायी साधन उपलब्ध हो सके एवं तीन वर्षो के अन्दर वे गरीबी रेखा से उपर लाये जा सकें । इस योजना के लक्षित वर्ग में सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत महिला तथा 03 प्रतिशत विकलांग के लिये आरक्षित है । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस ढंग से होना है कि अगले पाँच वर्षो में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों का आच्छादन हो जाय ।

वर्ष 2005–2006 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं:–

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 16831.720 |
| (2) पूर्व की योजनाओं से उपलब्ध राशि | 6516.756 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 12497.570 |
| (ख) राज्यांश | 5299.294 |
| (ग) कुल | 17796.864 |
| (4) अन्य | 120.696 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 24434.316 |
| (6) कुल व्यय | 15875.410 |
| (7) कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 64.97 |
| (8) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 94.31 |
| (9) लाभान्वित स्वरोजगार | |
| (i) स्वयं सहायता समूह | 4017 |
| (ii) वयक्तिगत | 87154 |
| (10) स्वयं सहायता ग्रुप गठित | 20692 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी–2(क) से सारणी–2(ठ) में दृष्टव्य है ।

## (ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

श्रम रोजगार सृजन करने वाली दो योजनाओं, यथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना का एकीकृत एवं परिवर्धित कर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन अक्तूबर-2001 से प्रारंभ किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत रोजगार की परिधि विस्तारित करते हुए ए.पी.एल. (गरीबी रेखा से उपर वाले परिवार) परिवारों को भी जिन्हें श्रम रोजगार करने की इच्छा हों, उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा । केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जिसके हथालन एवं परिवहन व्यय का भार राज्य सरकार पर होगा ।

इस योजना का उद्देश्य स्थायी स्वरूप के उत्पादकता वाली परिसम्पत्तियों तथा आर्थिक आधारभूत संरचना का सृजन एवं विकास करना है । वार्षिक कार्य योजना में भूमि एवं जल संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल से संबंधित, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई एवं सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी जैसे कार्यो को भी लिया जाना है । इस योजना के तहत मजदूर प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता देना है । जिलों को इस योजना के तहत राशि का आवंटन जिले के पिछड़ेपन के सूचकांक, जो अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या एवं प्रति कृषक कृषि उत्पादन के प्रतिलोम पर आधारित हो, के आधार पर किया जाता है ।

इस योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान, के माध्यम से कराया जाता है । जिला के कुल उपलब्ध राशि का 50 प्रतिशत निधियाँ और खाद्यान्न का वितरण 40:60 के अनुपात में जिला परिषद् और प्रखंड पंचायत समितियों के बिच किये गये शेष 50 प्रतिशत निधियाँ और खाद्यान्न ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय की जायेगी । इस योजना में ठेकेदारी एवं मशीन से काम नहीं कराना है ।

वर्ष 2005-2006 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत है :-

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 74299.850 |
| (2) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 20131.877 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 55724.880 |
| (ख) राज्यांश | 17084.360 |
| (ग) कुल | 72809.240 |
| (4) अन्य | 999.797 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 95963.014 |
| (6) कुल व्यय | 73195.244 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 76.270 |
| (8) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 102.36 |
| (9) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 103.50 |
| (10) कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या | 97066 |
| (11) कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में) | 618.369 |
| (क) अनुसूचित जाति के लिये सृजित श्रम दिवस | 303.812 |
| (ख) अनुसूचित जनजाति के लिये सृजित श्रम दिवस | 19.726 |

| | |
|---|---|
| (ग) अन्य के लिये सृजित श्रम दिवस | 294.831 |
| (घ) महिलाओं के लिये सृजित श्रम दिवस | 129.103 |
| (ङ) भूमिहीनों के लिये सृजित श्रम दिवस | 452.035 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 3(क) से सारणी 3(च) में दृष्टव्य है ।

## (ग) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

अक्टूबर, 2004 से केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश के 150 जिलों में प्रारंभ किया, जिसमें बिहार के 15 जिलें यथा अररिया, वैशाली, गया, मधुबनी, मुजफफ्रपुर, नवादा, समस्तीपुर, शिवहर, कटिहार, जमुई, लक्खीसराय, मुंगेर, पुर्णियाँ, सूपौल एवं दरभंगा सन्निहित है । दिनांक-02.02.06 से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय बिहार ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना में समाहित कर दिया गया है । वर्ष 2005-06 की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् है :-

(राशि लाख रूपये में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. वित्तीय लक्ष्य | - | 58812.890 |
| 1. कुल उपलब्ध राशि | - | 50412.750 |
| 2. कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय की गई राशि | - | 27536.630 |
| 3. सृजित मानव दिवस | - | 228.906 लाख दिवस |
| 4. कुल ली गई योजना | - | 15,560 |
| 5. कुल पूर्ण की गई योजना | - | 6,479 |
| 6. कुल आवंटित अनाज (चावल) | - | 3,47,488 मैट्रीक टन |
| 7. कुल उठाव की गई अनाज | - | 86,213 मैट्रीक टन |
| 8. कुल उपयोग की गई अनाज | - | 64,134 मैट्रीक टन |

**(घ) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनिमय, 2005 के तहत बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:-</u>**

2 फरवरी, 2006 से बिहार राज्य के 23 जिलों यथा अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर शिवहर, सुपौल एवं वैशाली में बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलायी जा रही है । यह केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी चाहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को निबंधित कर उन्हें जॉब कार्ड दिया जायेगा एवं उनके द्वारा अकुशल मजदूरी की लिखित मांग करने पर 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार के वयस्क व्यक्ति को संयुक्त रूप से एक वर्ष में 100 दिन अकुशल मजदूरी दिलाना है । इसके अंतर्गत जल संरक्षण, पुराने सार्वजनिक जल प्रणाली का जीर्णोद्धार, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण एवं संपर्क सड़क जैसी योजनाएँ ली जा सकती है । रु 68/- (अड़सठ रुपये) न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजूदरी दी जायेगी । ठिकेदारी एवं मशीनों पर रोक है । काम करने का अवसर नहीं दिलाने पर राज्य सरकार को अनियोजन भत्ता देना होगा । इस योजना के अन्तर्गत अकुशल मजदूर पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरों पर तथा सामग्री पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में दिया जाएगा ।

**(ङ) <u>राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:-</u>**

2 फरवरी, 2006 से बिहार राज्य के उन 15 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है जिन जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना कार्यान्वित नहीं है । यह राज्य प्रायोजित योजना है । इस योजना के अन्तर्ग मजदूरी चाहने वाले ग्रामीण परिवार को निबंधित कर उन्हें जॉब कार्ड दिया जायेगा एवं उनके द्वारा अकुशल मजदूरी की लिखित मांग करने पर 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक जॉब कार्डधार परिवार के वयस्क सदस्यों को संयुक्त रूप से एक वर्ष में 100 दिन अकुशल मजदूरी दिलाना है । इसके अंतर्गत जल संरक्षण, पुराने सार्वजनिक जल प्रणाली का जीर्णोद्धार, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण एवं संपर्क सड़क जैसी योजनाएँ ली जा सकती है । रु. 68/- (अड़सठ रुपये) न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी दी जायेगी । ठिकेदारी एवं मशीनों पर रोक है । काम करने का अवसर नहीं दिलाने पर राज्य सरकार को अनियोजन भत्ता देना होगा ।

## (च) इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गैर जनजाति को आवास उपलब्ध कराना है । इस योजना के अंतर्गत कम-से-कम साठ प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवास उपलब्ध कराने पर खर्च करना है ।

इंदिरा आवास योजना के तीन अव्यव हैं :-

(i) इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना)
(ii) इंदिरा आवास (उन्नयन योजना)
(**iii**) इंदिरा आवास (ऋण-सह-अनुदान योजना)
(**iv**) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इंदिरा आवास

(i) **इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना)** :- इस योजना के अंतर्गत 25000/-(पचीस हजार) रूपये प्रति यूनिट की लागत पर आवासों का निर्माण करना है ।

(ii) **इंदिरा आवास (उन्नयन योजना)** :- इस योजना के अंतर्गत वैसे घर जो रहने योग्य नहीं है, को अर्द्ध पक्का या पक्का घर में परिवर्तित करने के लिये गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लाभान्वितों को 12500/-(बारह हजार पॉच सौ) रूपये अनुदान के रूप में दिया जाता है ।

(iii) **इंदिरा आवास(ऋण-सह-अनुदान योजना)** :- इस योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ किया गया है । इस योजना अन्तर्गत 32000/- (बत्तीस हजार) रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित करना है, जिसमें अधिकतम अनुदान 12500/-(बारह हजार पॉच सौ) रूपये तथा अधिकतम ऋण 50000/-(पचास हजार) रूपये तक दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में इंदिरा आवास एवं इसकी उप योजनाओं के अंतर्गत निम्नांकित उपलब्धियां हैं :-

### (i) इंदिरा आवास योजना (नये आवास)

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1) वित्तीय लक्ष्य | 76822.088 |
| (2) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 20841.543 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 42858.366 |
| (ख) राज्यांश | 16385.276 |
| (ग) कुल | 59243.642 |
| (4) अन्य राशि | 1873.675 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 81958.860 |
| (6) कुल व्यय | 54041.019 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 74.78 |
| (8) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 93.54 |
| (9) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 89.92 |

| | |
|---|---|
| (10) भौतिक लक्ष्य (इन्दिरा आवास) | 3,07,288 |
| (11) कुल निर्मित आवास | 1,94,321 |
| (12) अनुसूचित जाति के लिये निर्मित आवास | 1,05,546 |
| (13) अनुसूचित जनजाति के लिये निर्मित आवास | 5,428 |
| (14) अन्य के लिये निर्मित आवास | 83,347 |
| (15) निर्माणाधीन आवास | 1,71,114 |

## (ii) इंदिरा आवास योजना(उन्नयन आवास)

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1)वित्तीय लक्ष्य | 19205.522 |
| (2) 01.04.2004 को अवशेष राशि | 4804.804 |
| (3) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 10665.385 |
| (ख) राज्यांश | 4096.319 |
| (ग) कुल | 14761.704 |
| (4) अन्य | 0.000 |
| (5) कुल उपलब्ध राशि | 19566.508 |
| (6) कुल व्यय | 10821.610 |
| (7) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 74.84 |
| (8) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 99.45 |
| (9) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 84.28 |
| (10) भौतिक लक्ष्य इंदिरा आवास | 1,53,644 |
| (11) कुल उन्नयन आवास | 70,702 |
| (12) अनुसूचित जाति को उन्नयन आवास | 36,553 |
| (13) अनुसूचित जनजाति को उन्नयन आवास | 2,130 |
| (14) अन्य को उन्नयन आवास | 32,019 |
| (15) निर्माणाधीन उन्नयन आवास | 59,283 |

## (iii) इंदिरा आवास योजना (ऋण-सह-अनुदान)

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1) 1-4-2004 को अवशेष राशि | 994.722 |
| (2) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 0.000 |
| (ख) राज्यांश | 0.000 |
| (ग) कुल | 0.000 |
| (3) कुल उपलब्ध राशि | 994.722 |
| (4) कुल व्यय | 557.214 |
| (5) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 33.69 |
| (6) कुल निर्मित आवास | 4,301 |

**(iv) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इंदिरा आवास**

| | (राशि लाख रूपये में) |
|---|---|
| (1) 01-04-2005 को अवशेष राशि | 33072.444 |
| (2) विमुक्ति | |
| (क) केन्द्रांश | 0.000 |
| (ख) राज्यांश | 2974.460 |
| (ग) कुल | 2974.460 |
| (3) अन्य | 1206.824 |
| (4) कुल उपलब्ध राशि व्यय | 37253.728 |
| (5) कुल व्यय | 22349.653 |
| (6) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत | 59.99 |
| (7) भौतिक लक्ष्य इंदिरा आवास | 2,13,332 |
| (8) कुल निर्मित आवस | 62,242 |
| (9) अनुसूचित जाति को निर्मित आवास | 32,201 |
| (10) अनुसूचित जनजाति को निर्मित आवास | 485 |
| (11) अन्य को निर्मित आवास | 27,556 |
| (12) निर्माणाधीन निर्मित आवास | 80,566 |

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 5(क) से 5(ख), सारणी 6(क) से 6(ख), तथा सारणी 7 (क) से 7 (ख) में क्रमशः दृष्टव्य है ।

## (छ) सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम/हरियाली

सुखाड़ से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 से डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो प्रभावित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में जल संसाधन का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर उन क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया । वर्ष 1995-96 से सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में जलछाजन विकास पर आधारित एक नयी पद्धति अपनायी गयी है । इस कार्यक्रम का आच्छादन राज्य के छः जिलों में हैं। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य की 75:25 के व्यय सहभागिता के आधार पर हो रहा है ।

इस योजना के तहत वर्ष 2005-2006 में कुल 12.38 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि के विरूद्ध 3.92 करोड़ रूपये की राशि का व्यय कर 453 जलछाजन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-8(क) में दृष्टव्य है । विदित हो कि भारत सरकार ने 6 जिलों को प्रथम किस्त हेतु कुल 379.175 लाख रूपये विमुक्त किया है । राज्य सरकार ने समतुल्य राज्यांश 126.392 लाख रूपये जिलों को विमुक्त किया है ।

## (ज) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0)

भूरक्षण रोकने एवं जल संसाधनों का विकास करने तथा अधिक बायोमास की उपलब्धि के लिए समेकित वंजर भूमि विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका व्यय केन्द्र/राज्य 11:1 के अनुपात में भारित है ।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 26 जिलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है । उपलब्धि निम्नवत है :-

(राशि लाख रू० में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.2004 को अवशेष राशि | - | 664.300 |
| 2 | विमुक्त | | |
| | (क) केन्द्रांश | - | 866.250 |
| | (ख) राज्यांश | - | 73.262 |
| | (ग) कुल | - | 939.512 |
| 3 | अन्य | - | 2.348 |
| 4 | कुल उपलब्ध | - | 1606.160 |
| 5 | कुल व्यय | - | 559.736 |
| 6 | अवशेष राशि | - | 1046.424 |

## (झ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)

यह योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु शंकर समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वित है । इस योजना के तहत विभिन्न जिलों को उनके आकार के अनुरूप तकनीकी एवं दक्ष कर्मियों की व्यवस्था कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सुदृढ़ करना है ताकि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता 75:25 की है । वर्त्तमान मापदण्डों के अनुसार राज्य के जिले को 2005-2006 में 10.11 करोड़ रूपये केन्द्रांश विमुक्त हुआ, जिसके समतुल्य राज्यांश 3.58 करोड़ रु० विमुक्त हुआ ।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-10 में दृष्टव्य है ।

# अध्याय–3

## केन्द्र संपोषित योजनाएँ

**(क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** :–केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना (एम0पी0लैडस) के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) को दो–दो करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके विरूद्ध सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । वर्ष 2005–2006 में इस योजना की मुख्य उपलब्धि सांसदवार विस्तृत विवरणी सारणी–13 (क) से सारणी–13(घ) में दृष्टव्य है ।

# परिशिष्ट–1

## वर्ष 2005–2006 का योजना उद्व्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय

| क्र०सं० | विभाग/प्रक्षेत्र का नाम | बजट उपबंध | पुनरीक्षित उद्व्यय | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | एस०जी०एस०वाई० | 6000.00 | 5546.40 | 5546.400 |
| 2 | एस०जी०आर०वाई० | 20100.00 | 17085.00 | 17084.360 |
| 3 | एस०आर०ई०जी०एस० | 5025.00 | 5025.00 | 5025.000 |
| 4 | खाद्यान्नों के हथालन एवं परिवहन व्यय | 10683.40 | 8263.47 | 8263.466 |
| 5 | आई०ए०वाई० | 13650.00 | 13650.00 | 13650.000 |
| 6 | डी०पी०ए०पी० | 200.00 | 200.00 | 199.654 |
| 7 | डी०आर०डी०ए० (प्रशासन) | 600.00 | 400.00 | 358.413 |
| 8 | डी०आर०डी०ए० (भवन) | 500.00 | 100.00 | 75.755 |
| 9 | प्रखंड भवन | 2942.00 | 2942.00 | 2893.130 |
| 10 | आर०डी०टी०आई० | 100.00 | 78.53 | 78.530 |
| 11 | स्थापना | 6458.00 | 6343.00 | 6333.020 |
| | **योगः– (1 से 10 तक)** | **66258.40** | **59633.40** | **59507.73** |

## गैर योजना का सारांश वर्ष 2005–06

| क्रमांक | शीर्ष | आय–व्ययक उपबंध |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | शीर्ष 3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएं<br>090 – सचिवालय<br>001– ग्रामीण विकास विभाग<br>विपत्र कोड – एन. 3451000900010 | 201.69 |
| 2 | शीर्ष 2515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम<br>800 – अन्य व्यय<br>लघु सिंचाई विभाग से हस्तांतरित<br>विपत्र कोड – एन. 251500800001 | 222.15 |
| 3 | शीर्ष 2515– अन्य ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम<br>102 – सामुदायिक विकास<br>0001 – उत्तर प्रक्रम 2 प्रखंड<br>विपत्र कोड – एन. 2515001020001 | 11329.42 |
| | **कुल योग्यः– (1+2+3)** | **11753.26** |

~~ !!! ~~

# ग्रामीण विकास विभाग का दूरभाष विवरणी

| क्रम सं. | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | दूरभाष संख्या | फैक्स संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो,**<br>मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग,<br>बिहार, पटना । | 2205331 (का०)<br>2232396 (आ०) | |
| 2 | **श्री अनूप मुखर्जी,**<br>आयुक्त एवं सचिव | 2223496 | 2220857 |
| 3 | **श्री एस० एम० राजू,**<br>अपर सचिव | 2225504 | 2225504 |
| 4 | **डॉ० डी०के० शुक्ला,**<br>निदेशक, (सामाजिक वानिकी) | 2205995 | |
| 5 | **श्री उदय कान्त लाल दास,**<br>संयुक्त सचिव | 2205745 | |
| 6 | **श्री नृपति मंडल,**<br>उप सचिव | 2205370 | 2205370 |
| 7 | **श्री राम बाबू सिंह,**<br>उप सचिव | 2205347 | 2205347 |
| 8 | **श्री सआदत हसन मिंटु,**<br>उप सचिव | 2205369 | 2205369 |